RCMS - 2019/02584

Form no 111

फर्द अहकाम
(नियम 133)

आज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान:— बिरुदेवी बनाम भागीरथ आदि

धारा :— विविध प्रा0पत्र 212 आर.टी.ए. मुकदमा नं0— 564 /2019

	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्सा जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुआ।
9	प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया की ओर से श्री सुखपाल सिंह अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सारिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया। प्राथमिक दृष्टि से संतुष्ट होकर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है, कि अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि प्रश्नगत कृषि भूमि चक नम्बर 18 एस.एस.डब्लयू के खाता सख्या 91/74 की कुल तादादी 23.023 हैक्टैयर व चक नं0 20 एच.एम.एच. के खाता सख्या 37/26 तादादी 1.518 हैक्टयर मे से प्राथी के हक हिस्सा तक आराजी को बेचान न करे। अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 4 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जावें। जिसके लिए प्रार्थी के अधिवक्ता रजिस्टर्ड लिफाफे प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण के उपस्थित होनें पर प्रार्थीया के अधिवक्ता बहस करनें हेतु बाध्य होगें यदि बहस नहीं की जाती है, तो अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 31.12.2019 को पेश हो। कपिल कुमार उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ।	
31-12-19	प्रार्थीया स्वयं उपस्थित वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही न चाहने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा Not- Press का अंकन करने पर प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से दिनांक 8-11-19 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाकर पत्रावली वर्तमान स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	RTI बिरुदेवी Please Dismiss Not press

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.06 14:29:44 IST
Reason: SelfAttested